कार्यालयः मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,

राजकीय संग्रहालय, डैम्पीयर नगर, मथुरा।

Tender Reference No. : NIT- 30/MVDA/2024-25 Date:- 25.02.2025

ई–निविदा सूचना

म.वृ.वि.प्रा. द्वारा Tender Reference No. NIT 30/MVDA/2024-25 के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यो हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत फर्मों / अनुभवी फर्मों से टू–बिड / सिंगल बिड पद्धति पर ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है:–

क्र. सं.	कार्य का नाम	बी.ओ.क्यू. धनांक (रु. लाख में)	धरोहर राशि (रू. लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रू. G.S.T. सहित)	कार्य अवधि (माह में)	प्राधिकरण में पंजीकृत श्रेणी	ई–निविदा अपलोड / डाउनलोड की अन्तिम तिथि व समय	ई–निविदा खोले जाने की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जनपद मथुरा में वृन्दावन मार्ग के अवशेष भाग एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा, पी0ए0 सिस्टम एवं आई0टी0एम0एस0 की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	1757.20	89.86	5900.00	15	विद्युत सुपर–ए अथवा अनुभवी फर्म	दिनांक 01.04.2025 को अपरान्ह 5:00 बजे तक	दिनांक 02.04.2025 को दोपहर 2:00 बजे
2	जनपद मथुरा के अन्तर्गत वृन्दावन व बरसाना में पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	380.34	21.02	5900.00	06	विद्युत–ए	दिनांक 20.03.2025 को अपरान्ह 5:00 बजे तक	दिनांक 21.03.2025 को दोपहर 2:00 बजे
3	रूकमणी विहार के सम्मुख (छटीकरा, मार्ग) सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट में उद्यानीकरण के कार्य। (02 वर्ष के अनुरक्षण सहित)	101.00	7.05	5900.00	24	उद्यान–ए अथवा अनुभवी फर्म	दिनांक 20.03.2025 को अपरान्ह 5:00 बजे तक	दिनांक 21.03.2025 को दोपहर 2:00 बजे
4	लोहवन में दाऊजी रोड से खाकी मन्दिर बाबा तक सड़क का निर्माण कार्य।	71.64	5.58	2360.00	05	सिविल–बी	दिनांक 17.03.2025 को अपरान्ह 5:00 बजे तक	दिनांक 18.03.2025 को दोपहर 2:00 बजे
5	नगर पंचायत फरह में पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	37.15	3.71	1770.00	03	विद्युत–सी	दिनांक 17.03.2025 को अपरान्ह 5:00 बजे तक	दिनांक 18.03.2025 को दोपहर 2:00 बजे
6	रूकमणी विहार आवासीय योजना सेक्टर–2 के 01 बी0एच0के0 टाइप 28 भवनों के आन्तरिक मरम्मत का कार्य।	35.22	3.52	1770.00	06	सिविल–सी	दिनांक 17.03.2025 को अपरान्ह 5:00 बजे तक	दिनांक 18.03.2025 को दोपहर 2:00 बजे
7	जनपद मथुरा में कलेक्ट्रेट से टैंक चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट का 03 वर्ष तक अनुरक्षण का कार्य।	22.22	2.22	1180.00	36	उद्यान–सी अथवा अनुभवी फर्म	दिनांक 17.03.2025 को अपरान्ह 5:00 बजे तक	दिनांक 18.03.2025 को दोपहर 2:00 बजे

Scanned with OKEN Scanner

शर्तें :–

1– सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

2–निविदा मूल्य (नॉन रिफन्डेबिल) व वांछित जमानत (धरोहर) धनराशि बैंक ऑफ बड़ौदा, मथुरा **(IFSC: BARB0VJMATH)** के खाता संख्या– **77450100023162 में RTGS/NEFT** के माध्यम से जमा कराते हुए प्राप्त यू.टी.आर. स्लिप (पृथक–पृथक) की स्केन कॉपी ई–निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

3–प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त आमन्त्रित कार्यो की निविदा में यदि पूर्व में किसी फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रतिभाग किया गया है तथा अभी तक उसकी धरोहर धनराशि प्राधिकरण खाते में जमा है, तो ऐसी स्थिति में यदि फर्म/ठेकेदार उसी सम्बन्धित कार्य की निविदा में प्रतिभाग करना चाहता है, तो जमा धरोहर धनराशि की पूर्व यू.टी.आर. स्लिप संलग्न कर प्रतिभाग कर सकता है। फर्म/ठेकेदार को निविदा प्रपत्र मूल्य पुनः जमा कराना अनिवार्य है।

4– उपरोक्त समस्त कार्यो की निविदाओं हेतु वांछित धरोहर धनराशि सम्बन्धित कार्य के लिए ही मान्य होगी, अन्य किसी कार्य के लिए उक्त धरोहर राशि पर विचार नही किया जायेगा।

5–निविदा प्रपत्र व शर्तें ई–पोर्टल बेवसाईट https://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं तथा निविदा को अपलोड/डाउनलोड कर सकते है। निविदाओं में किसी प्रकार की संशोधन की सूचना https://etender.up.nic.in पर ही अपलोड/ प्रदर्शित की जायेगी। इच्छुक निविदादाता नियमित रूप से उक्त बेवसाईट को समय–समय पर देखते रहें।

6–सिविल/विद्युत के कार्यों हेतु केवल एक श्रेणी उच्च में पंजीकृत फर्मों द्वारा भी प्रतिभाग मान्य होगा (कॉलम–7 में वर्णित श्रेणी से एक श्रेणी उच्च के पंजीकृत ठेकेदार भी प्रतिभाग कर सकेंगे।)

7–रू. 40.00 लाख तक की लागत की निविदायें एकल बिड तथा इससे ऊपर की निविदायें टू–बिड (तकनीकी एवं वित्तीय) पद्धति पर आमंत्रित होगी।

8–दरों में सामान्यतः जी.एस.टी. अथवा कोई कर सम्मिलित नहीं है। निविदादाताओं को अपनी दरें बिना जी.एस.टी. के अंकित करनी होगी। कार्य के मदों के सापेक्ष प्रभावी नियमानुसार जी.एस.टी. प्राधिकरण द्वारा अलग से देय होगा, जिन निविदाओं की दरों में जी0एस0टी0 सम्मिलित किया गया है उनके बी0ओ0क्यू0 में स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है।

9–टैक्नीकल बिड के आधार पर केवल चयनित निविदाताओं की फाइनेशियल बिड खोलने की सूचना वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध होगी।

10–सफल निविदाता को भारत सरकार/राज्य सरकार/आवास एवं शहरी विभाग, उ.प्र. द्वारा जारी कोविड–19 के समस्त मानकों (एस.ओ.पी.) के प्रचलित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

11–निविदा प्रपत्र एवं संलग्न किये जाने वाले **समस्त दस्तावेजों को निविदाता द्वारा स्वहस्ताक्षरित, पेज नम्बरिंग एवं मोहरयुक्त व इण्डेक्सिंग किया जाना अनिवार्य है। म.वृ.वि.प्रा. में फर्म का पंजीकरण/नवीनीकरण जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष की वैधता तिथि स्पष्ट उल्लेख हो, अपलोड किया जाना अनिवार्य है।**

12–**निविदादाता की निविदा में अंकित केवल समान प्रकृति के पूर्ण किये गये कार्यो का अनुभव ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न न होने की दशा में निविदा स्वीकृति पर विचार नही किया जायेगा।** इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण टैक्नीकल बिड में अंकित किया गया है।

13–**सड़कों के समस्त कार्यो हेतु "Defect removal/liability Period" कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अंतिम भुगतान की तिथि से तीन वर्ष अवधि होगी।** उक्त अवधि में खराब/क्षतिग्रस्त कार्य को ठीक करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा। तथा सड़कों एवं अन्य कार्यो में इण्टरलॉकिंग टाईल्स की स्पेशिफिकेशन में संशोधन करते हुए इस क्षेत्र में उपलब्ध उच्च कोटि की **ISI** नम्बर सहित मान्यता प्राप्त टाईल्स का उपयोग किया जायेगा।

14–अन्य समस्त **कार्यो हेतु "Defect removal/liability Period" कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अंतिम भुगतान की तिथि से दो वर्ष अवधि होगी।** उक्त अवधि में खराब/क्षतिग्रस्त कार्य को ठीक करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा।

15–निविदादाता स्वंय प्रस्तावित निर्माण स्थल देखकर ही निविदा में प्रतिभाग करें एवं निविदा में दी गयी दरें निविदा की तिथि से तीन माह तक वैध रहेगी।

16–यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होता है, तो उसके अगले कार्य दिवस में निविदा खोली जाएगी।

17–प्रतिभाग करने वाले ठेकेदारों को जी.एस.टी. (GSTN) नम्बर देना अनिवार्य होगा।

18–कार्य स्थल पर दोषपूर्ण एवं अधोमानक सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदादाता पूर्ण रूप से स्वंय जिम्मेदार होगें।

19–केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर लगाये गये करों की कटौती नियमानुसार निविदादाताओं के चलित देयक से की जायेगी।

20–निविदादाताओं द्वारा बी.ओ.क्यू. की दरों से कम दरें अंकित करने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 622/23–12–2012–2 ऑडिट/08 टी.सी. दिनांक 08.06.12 के क्रम में नियमानुसार अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफोरमेंस गारण्टी देय होगी, **जो मात्र एफ.डी.आर. के रुप में ही मान्य होगी, बैंक गारण्टी किसी भी दशा में मान्य नही होगी।**

21–निविदा स्वीकृति की दशा में निविदादाता को भवन और अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत कार्य प्रांरभ करने से पूर्व श्रम विभाग में लेबर सहित पंजीयन सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।

22– मिट्टी के कार्य हेतु यदि रॉयल्टी की देयता बनती है तो उसे ठेकेदार द्वारा स्वंय वहन करना होगा।

23–मिट्टी के अतिरिक्त अन्य प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की रॉयल्टी भुगतान के सम्बन्ध में **फार्म–सी अथवा एम.एम.–11/मूल ट्रांसजिट पास प्रस्तुत करना होगा।**

Scanned with OKEN Scanner

24—प्रत्येक कार्य की मद मात्राओं मे बचत/वृद्वि हो सकती है तथा निविदा बी.ओ.क्यू. दर से उच्च होने की दशा में अंतिम मात्राओं के आधार पर न्यायोचित लागत की गणना कर तदनुसार भुगतान किया जायेगा।

25—कार्य की गुणवत्ता (Quality/Assurance) की जॉच यथाआवश्यकता थर्ड पार्टी से करायी जायेगी, जिस पर आने वाले व्यय का भार निविदादाता द्वारा ही स्वंय वहन किया जायेगा।

26—प्राप्त समस्त निविदाओं अथवा किसी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, मथुरा—वृन्दावन विकास प्राधिकरण में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती है।

27—उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा कार्यदायी संस्था मथुरा—वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा आमंत्रित निविदा में उपनिदेशक पर्यटन मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में कार्य समाप्ति पर अतिरिक्त मदों की दरों पर भी 5 प्रतिशत कटौती की जायेगी।

28— कॉलम संख्या 07 में अंकित अनुभवी फर्म का तात्पर्य ऐसी फर्मो से होगा, जिन्हें विषयगत कार्य में विशिष्ट अनुभव प्राप्त है तथा ऐसी फर्मो का प्राधिकरण में पंजीकृत होना अनिवार्य नही होगा किन्तु उन्हें नियमानुसार सफल निविदादाता होने पर प्राधिकरण में पंजीकरण कराना होगा।

29— बिटूमिन से सम्बन्धित कार्यो में फर्म को **हॉटमिक्स प्लॉन्ट की उपलब्धता सम्बन्धित शपथ—पत्र** प्रस्तुत करना होगा।

30— Work No:- 01 अंकित कार्य हेतु प्रथक से आरं.एफ.पी. अपलोड की जायेगी।

31—Work No:- 03 एवं 07 पर अंकित कार्य हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश का पंजीयन प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अधिशासी अभियन्ता
मथुरा—वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने विभाग के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

1. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम मथुरा—वृन्दावन।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मथुरा।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0डब्ल्यू0डी0 प्रान्तीय खण्ड, मथुरा।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड—1, मथुरा।
5. श्रीमती वैशाली शर्मा, सहायक अभियन्ता को इस आशय के साथ प्रेषित कि समय से आर.एफ.पी. एवं बी.ओ.क्यू. Website https://etender.up.nic.in पर तथा उक्त सूचना प्राधिकरण की Website https://mvdamathura.com पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner